

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 856 /2019 दिनांक : 10.04.2019

श्री हरीवल्लभ खत्री (RJ0296), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर को दिनांक 20.04.2019 से 27.04.2019 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 19.04.2019 एवं 28.04.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री खत्री की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से  
*[Signature]* 09.4.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/06/1997/3493

दिनांक : 10.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर को उनके पत्रांक 162 दिनांक 26.03.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरीवल्लभ खत्री (RJ0296), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ।

*[Signature]*  
10.4.2019  
सहायक रजिस्ट्रार